संख्या-905/2018/2954/22-2-2017-17(768)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महनिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40361/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक 09.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा, जो-बचरौली, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। (1) दिनांक 10.10.1975 को गजोधर अपने पुत्र के साथ खेत से घर वापस आ रहा था। बंदी ने अपने सहअभियुक्तों राम नरायण जो बल्लम, रामाधार फरसा के साथ एवं मेवालाल लाठी से लैस थे, बाहर आये राम नारायण ने अन्य सहअभियुक्तों से कहा गजोधर की हत्या कर देना चाहिये क्योंकि वह बेवजह उससे मुकदमा लड़ रहा है उसके बाद भाला निकालकर उसके पेट में घुसा दिया, गिरते ही सभी ने शस्त्रों से प्रहार कर गजोधर की हत्या कर दी। (2) उक्त घटना में मेवालाल और श्यामलाल को आजीवन कारावास की सजा हो गयी। सूबेदार सिंह (मृतक) उक्त केस की पैरवी करता था। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 19.06.1985 को सायं 06:00 बजे सुबेदार सिंह भाई के साथ बैलगाड़ी से जा रहे थे तभी दोषी लोग उन्हें मिल गये मैका, कुल्हाड़ी तथा अन्य दोनों लोहे की राड से लैस थे, ने सूबेदार सिंह का पीछा कर हथियारों से उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-183ए/75 मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के आदेश दिनांक 18.03.1977 तथा सत्र परीक्षण सं0-17/1988 में मा0 सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.07.1990 द्वारा भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के क्रि0 अपील सं0-523/1977 में पारित आदेश दिनांक 25.02.1985 तथा क्रि0 अपील सं0-1503/1990 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2017 तक 31 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 42 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी ने दिनांक 10.10.1975 को गजोधर की पुत्र के साथ खेत से घर वापस आते समय 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाले से प्रहार कर हत्या कर दी। (2) उक्त मुकदमें के पैरोकार सूबेदार सिंह की दिनांक 08.06.1985 को कुल्हाड़ी, लोहे की राड से हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने इसकी पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्यामलाल (बन्दी संख्या-13117/1992) पुत्र श्री जलमा निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-905/2018/2954(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-905/2018/2954/22-2-2017-17(768)/2017

दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा, जो-बचरौली, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। (1) दिनांक 10.10.1975 को गजोधर अपने पुत्र के साथ खेत से घर वापस आ रहा था। बंदी ने अपने सहअभियुक्तों राम नरायण जो बल्लम, रामाधार फरसा के साथ एवं मेवालाल लाठी से लैस थे, बाहर आये राम नारायण ने अन्य सहअभियुक्तों से कहा गजोधर की हत्या कर देना चाहिये क्योंकि वह बेवजह उससे मुकदमा लड़ रहा है उसके बाद भाला निकालकर उसके पेट में घुसा दिया, गिरते ही सभी ने शस्त्रों से प्रहार कर गजोधर की हत्या कर दी। (2) उक्त घटना में मेवालाल और श्यामलाल को आजीवन कारावास की सजा हो गयी। सूबेदार सिंह (मृतक) उक्त केस की पैरवी करता था। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 19.06.1985 को सायं 06:00 बजे सुबेदार सिंह भाई के साथ बैलगाड़ी से जा रहे थे तभी दोषी लोग उन्हें मिल गये मैका, कुल्हाड़ी तथा अन्य दोनों लोहे की राड से लैस थे, ने सूबेदार सिंह का पीछा कर हथियारों से उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-183ए/75 मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के आदेश दिनांक 18.03.1977 तथा सत्र परीक्षण सं0-17/1988 में मा0 सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.07.1990 द्वारा भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के क्रि0 अपील सं0-523/1977 में पारित आदेश दिनांक 25.02.1985 तथा क्रि0 अपील सं0-1503/1990 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2017 तक 31 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 42 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी ने दिनांक 10.10.1975 को गजोधर की पुत्र के साथ खेत से घर वापस आते समय 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाले से प्रहार कर हत्या कर दी। (2) उक्त मुकदमें के पैरोकार सूबेदार सिंह की दिनांक 08.06.1985 को कुल्हाड़ी, लोहे की राड से हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने इसकी पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in